International Journal of Advanced Research and Development
ISSN: 2455-4030, Impact Factor: RJIF 5.24
www.advancedjournal.com
Volume 2; Issue 2; March 2017; Page No. 105-108

राजस्थान में महिलाओं के लिये राज्य की नीतियाँ

Seema
Department of History, University of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan, India

प्रस्तावना

महिलाओं को कानूनी व्यवस्थाओं द्वारा उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने के साथ-साथ राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों के अनुरूप महिलाओं को सशक्त करने के लिये समय-समय पर सरकार द्वारा अनेक नीतियों का निर्माण किया गया है।

किसी भी देश व राज्य के समग्र विकास के लिये महिला व पुरुष दोनों का समान गति से निर्बाध रूप से उन्नति के पथ पर अग्रसर होना आवश्यक है। महिलाएं समाज की अभिन्न अंग है। अत: सामाजिक व आर्थिक विकास की संकल्पना महिलाओं के विकास व सशक्तिकरण के बिना अधूरी है।[1]

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी महिलाओं के विकास को प्राथमिकता देते हुए कहा था कि ''यदि आपको विकास करना हैं तो महिलाओं का उत्थान करना होगा। महिलाओं का विकास होने पर समाज का विकास स्वत: ही हो जाएगा।'' [2] स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व, देश की अधिकांश महिलाएं, विशेष तौर पर ग्रामीण गरीब महिलाएं निरक्षर, रूढ़िवादी एवं परम्परागत बंधनों में जकड़ी हुई थी। घर की चारदिवारी तक सीमित ग्रामीण महिलाएं अनेक प्रकार की कुरीतियों व कुप्रथाओं यथा बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा व दहेज का दंश झेल रही थी।

किन्तु स्वतन्त्रता के पश्चात् सरकार ने महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने, उनके समग्र व संतुलित विकास को सुनिश्चित करने व उनको विकास की मुख्यधारा में सवामेशित करने हेतु अनेक विधायी उपाय, कल्याणकारी योजनाओं व विकास कार्यक्रमों को मूर्त रूप प्रदान किया। यही नहीं, महिलाओं को सशक्त, अधिकार संपन्न व जागरूक बनाने हेतु देश के संविधान ने महिलाओं के लिये निम्न प्रावधान किये[3]-

अनुच्छेद - 14: कानून के सक्षम समानता दिलाना।
अनुच्छेद - 15(3): महिलाओं तथा बच्चों हेतु विशेष सुविधा।
अनुच्छेद - 16 : बिना भेदभाव के नौकरी में समानता।
अनुच्छेद - 19 : समान अभिव्यक्ति।
अनुच्छेद - 21 : प्राण व दैहिक स्वतत्रंता से वंचित न करना।
अनुच्छेद - 23 व 24: नारी क्रय-विक्रय व बेगार प्रथा पर रोक लगाई।
अनुच्छेद - 39(घ): समान कार्य समान वेतन।
अनुच्छेद - 39: में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि ''राज्य अपनी नीति का विशिष्टतया इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हों''।
अनुच्छेद - 243(घ) पंचायती राज व नागरीय संस्थाओं में 73वे व 74 वे संशोधन के माध्यम से महिला आरक्षण।
अनुच्छेद - 47 : पोषाहार जीवन-स्तर तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना सरकारी दायित्व।
अनुच्छेद - 330: 84वें संशोधन द्वारा लोक सभा में महिला आरक्षण।
अनुच्छेद - 332: 84वें संशोधन द्वारा विधान सभा में महिला आरक्षण।

इसके साथ ही संविधान में महिलाओं को परम्परागत बंधनों से विमुक्त करवाने के लिए विशेष रियायतों व प्रोत्साहनों का भी प्रावधान किया गया हैं।[4]

वर्ष 1975 को ''अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष'' के रूप में मनाए जाने के पश्चात् सरकार ने महिला विकास हेतु विशेष प्रयास किए। सरकार ने वर्ष 2001 को ''राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष'' के रूप में मनाकर महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक दशा को सुधारने की दिशा में एक साहसिक कदम उठाया हैं।[5]

महिलाओं के हितों व अधिकारों की सुरक्षा व संवर्द्धन, समाज में लैंगिक समानता व महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव व अत्याचारों की समाप्ति हेतु संवैधानिक निकाय के रूप में ''राष्ट्रीय महिला आयोग'' की स्थापना वर्ष 1992 में तथा ''राज्य महिला आयोग'' की स्थापना 1993 में की गई। यह आयोग महिला सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न सामाजिक, आर्थिक व कानूनी पक्षों पर विशद चर्चा हेतु संगोष्ठियों, सम्मेलनों व कार्यशालाओं को आयोजित या प्रायोजित करते हुए ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सुधारने व सुदृढ़ करने की दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है।[6] इसके लिये आयोग ने बहुआयामी कार्यनीति अपनाते हुए निम्नलिखित कार्यो को प्राथमिकता प्रदान की है।

- कानूनी जागरूकता कार्यक्रम एवं कानूनी और विधायी उपायों की समीक्षा।
- पारिपारिक महिला लोक अदालतें।

- कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न पर रोक हेतु आचार संहिता।[7]

एक स्वस्थ व सभ्य राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब उस राष्ट्र की महिलाएं व बच्चे स्वस्थ, संस्कारिक, शिक्षित व मानसिक रूप से सुदृढ़ हो।[8] राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्देश्यों एवं पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य के अनुरूप महिलाओं को सशक्त करने के लिये समय-समय पर सरकार द्वारा अनेक नीतियों का निर्माण किया गया है। जो निम्नलिखित हैं:-

ग्रामीण क्षेत्र में महिला और विकास कार्यक्रम **(DWCRA)**

यह कार्यक्रम सितम्बर, 1982 में प्रारम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को 10-15 के समूह में संगठित करके कोई भी आर्थिक कार्य प्रारम्भ करने का प्रशिक्षण दिया जाता हैं अब इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) में शामिल कर लिया गया है।[9]

ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम **(TRYSEM)**

इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को तकनीकी तथा उद्यमशीलता की कुशलताएँ प्रदान करना है। इस कार्यक्रम को 1 अप्रैल 1999 में स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) सम्मिलित कर लिया गया। इसमें 40 प्रतिशत महिलाएं सम्मिलित की जाएगी। स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को वरीयता दी जायेगी।[10]

स्वावलंबन कार्यक्रम

इस योजना के अन्तर्गत महिला विकास निगमों, स्वायत्त संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों को गैर परंपरागत व्यवसायों में महिलाओं के प्रशिक्षण तथा इन क्षेत्रों में उन्हें सुनिश्चित रूप से रोजगार दिलाने के लिये सहायता दी जाती है।[11]

जवाहर रोजगार योजना **(JRY)**

यह योजना 1 अप्रैल 1989 में दो रोजगार कार्यक्रमों राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम को मिलाकर बनाई गई थी। इस योजना के अन्तर्गत रोजगार के 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिये आरक्षित थे।[12]

समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम **(IRDP)**

यह योजना 2 अक्टूबर 1980 में सम्पूर्ण देश में लागू की गयी थी। इसमें 40 प्रतिशत महिलाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जाता था। जिसमें राज्यों के लिये केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार इस खर्च को 50:50 अनुपात में वहन करती थी। इस योजना को 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (SGSY) में सम्मिलित कर लिया गया।[13]

स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना **(SJSRY)**

यह योजनाग 1 दिसम्बर, 1997 में लागू की गई। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास (DWCUA) की योजना शहरी गरीबी महिलाओं को विशेष सहायता दी जाती हैं, DWCUP सोसायटी 1,25,000 रूपये अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, की सब्सिडी प्राप्त करने की हकदार होगी।[14]

स्वशक्ति योजना

ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु स्वशक्ति नाम की परियोजना विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष (IFAD) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित की जाती है। इस परियोजना का उद्देश्य जीवन का गुणवत्ता में सुधार के लिये संसाधनों तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाना है।[15]

महिला उद्यमियों के लिये बैंक ऋणों में आरक्षण की योजना

यह योजना 15 अगस्त, 2001 में घोषित की गई, जिसके तहत महिला उद्यमियों को सार्वजनिक बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में बैंक ऋण आसान शर्तो पर उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान है। इस योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक बैंक अगले 3 वर्षों तक अपनी कुल ऋण राशि का 3 प्रतिशत भाग महिला उद्यमियों को आवश्यक रूप से प्रदान करेंगे। जिससे महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन मिल सके।[16]

विल **(WILL)** योजना

विल (Women Integrated Learning for Life) अर्थात् ''जीवन के लिये महिलाओं का समेकित शिक्षण'' महिलाओं के लिये एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसका उद्देश्य निरक्षर लड़कियों और युवतियों को साक्षर बनाना, स्वास्थ्य और पोषण, स्वच्छता परिवार कल्याण जैसे आवश्यक विषयों के बारे में जागृति बढ़ाना।[17]

महिला शिक्षा को प्रोत्साहन

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की संशोधित शिक्षा नीति और इसकी कार्य योजना में महिलाओं की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है। ''ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड'' योजना में सांशोधित नीति के अनुसार भविष्य में अध्यापकों की भर्ती में 50 प्रतिशत महिलाओं के होने का प्रावधान हैं।[18]

राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति

महिला सशक्तिकरण हेतु वर्ष 2001 में प्रथम बार ''राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति'' बनाई गई महिला में सहभागिता सुनिश्चित करना तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व सामाजिक सुरक्षा में सहभागिता को सुनिश्चित करना उद्देश्य रखा गया है। इस महिला उत्थान नीति को देश में लागू करने के लिये 10 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की गयी है।[19]

''महिला विकास कार्यक्रम'' के अन्तर्गत राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा संचालित अनेक योजनाएँ है जो निम्न हैं[20]–

अ) राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ

ब) भारत सरकार द्वारा संचालित योजानाएँ

अ) राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ

स्वयं सहायता समूह

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने तथा दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिये ''एक सब के लिये'', ''सब के लिये एक'' के सिद्धान्त पर स्वयं सहायता समूह योजना का क्रियान्वयन 1997–98 से किया जा रहा हैं। वर्ष 1999 में राज्य में कुल 25 हजार नए स्वयं समूह गठित करने का लक्ष्य रखा गया हैं। राज्य में जनवरी 2001 तक कुल 87,398 महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया हैं।[21]

गृह उद्योग योजना

महिला उद्यमियों को प्रेरित करने एवं कुशलता में वृद्धि करने तथा उन्हें स्वरोजगार के प्रति प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्य में गृह उद्योग योजना चलाई जा रही हैं। इस योजनान्तर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं/नेहरू युवा केन्द्रों द्वारा महिलाओं को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्ष 2001 में 2950 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया एवं 935 महिलाएं प्रशिक्षणरत है।[22]

एकीकृत महिला सशक्तीकरण योजना **(IWEP)** स्वयं सिद्धा

प्रदेश की महिलाओं में आर्थिक स्वायत्ता लाने तथा उनके विकास के लिए अन्तरविभागीय सेवाओं में समन्वय एवं जागरूकता के उद्देश्य से राज्य में ''इन्दिरा महिला योजना'' वर्ष 1995 में केन्द्र सरकार के सहयोग से आरम्भ की गयी। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं में क्षमता निर्माण, महिला जागरूकता तथा उनकी आय के साधनों के विकास को प्राथमिकता दी गई है।

जुलाई 2001 में इसे ''महिला स्वयंसिद्धा'' योजना नाम दिया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं में विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी योजनाओं के प्रति जागृति पैदा करना, उनका लाभ उठाना हेतु उन्हें प्रशिक्षित करना तथा आय उपार्जित करने की विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित कर शिक्षा एवं जागरूकता के लिए एक अनवरत प्रक्रिया का विकास करना है।[23]

शिशु पालन गृह का संचालन

राज्य द्वारा कामकाजी महिलाओं के बच्चों का दैनिक देखभाल की सुविधा उपलब्ध करवाने तथा बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार हेतु वित्तीय वर्ष 2001 में 500 शिशु पालनागृह प्रारम्भ करने की घोषण की गयी थी।[24]

ब) भारत सरकार द्वारा संचालित योजनाएँ

महिलाओं के प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता **(STEP)**

निर्धन ग्रामीण महिलाओं के आय स्तर में अभिवृद्धि के लिये परम्परागत क्षेत्रों में उनके कौशल अभिवृद्धि व उन्नयन के लिये ''स्टेप'' कार्यक्रम का प्रावधान किया गया है। इस कार्यक्रम में न केवल दुग्ध उत्पादन एवं विपणन के माध्यम से पशुपालकों का सामाजिक एवं आर्थिक विकास किया जाता है। अपितु इन जिलों की ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता, ग्रामीण, स्वास्थ्य एवं सफाई, स्वरोजगार कार्यक्रम एवं जागरूकता कार्यक्रम चलाकर उनका र्स्वागीण विकास भी किया जाता है।[25]

स्वर्णिम योजना

पिछड़े वर्ग की गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु 'स्वर्णिम योजना' को प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत इन महिलाओं को अत्यन्त अल्प ब्याज दर पर 50 हजार रूपये तक का ऋण देने का प्रावधान है।

महिला डेयरी योजना – के तहत राज्य में महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया ताकि ग्रामीण महिलाओं की स्थिति सामाजिक–आर्थिक दृष्टिकोण से उन्नत व मजबूत की जा सके। यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। राजस्थान के प्रत्येक जिले में इस योजना के द्वारा महिलाएं अपनी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को सुधारने में भरसक प्रयास कर आगे बढ़ रही है। निसंदेह रूप से ये योजनाएं ग्रामीण महिला सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से मील का पत्थर साबित हो रही है।[26]

निसंदेह रूप से, ग्रामीण महिला विकास व सशक्तिकरण जैसे जटिल किन्तु महत्त्वपूर्ण उद्देश्य प्राप्ति की राह में अनेक समस्याएँ अवरोध व बाधाएँ हैं। सरकार, समाज एवं स्वयंसेवी संगठनों को संयुक्त रूप में महिला विकास कार्यक्रमों के निर्माण, इनके सफल क्रियान्वयन व प्रगति को सुनिश्चित करते हुए महिलाओं को साक्षर, स्वावलम्बी व सशक्त बनाने के लिये हर सम्भव प्रयास करने होंगे तथा समाज में सकारात्मक व समानतापरक वातावरण तैयार करना होगा। इसके अतिरिक्त, समाज में प्रचलित रूढ़ियाँ, मान्यताएँ परम्परागत प्रथाएं व आडम्बर जैसी बेड़ियाँ ही महिला सशक्तिकरण के मार्ग में अवरोध है। महिलाएं स्वयं आगे आकर इन अवरोधकों को दूर करके ही अपना निर्भीक, स्वतंत्र व सशक्त विकास कर सकती हैं।

''देश व राज्य की खुशहाली व समृद्धि का रास्ता गांव की गलियों से होकर गुजरता है''। इस तथ्य को देखते हुए ग्रामीण महिलाओं के विकास, खुशहाली व समृद्धि के लिये व्यापक गरीबी निवारण व बेरोजगारी उन्मूलन योजनाओं का क्रियान्वयन ईमानदारी, पारदर्शी व प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

कृषि, पशुपालन, लघु, कटीर व हथकरघा उद्योग में महिलाओं के योगदान को दृष्टिगत रखते हुए ऐसी योजनाओं व कार्यक्रमों को संचालित किया जाना अपेक्षित है। जिससे इन क्षेत्रों में महिलाओं की उत्पादकता, कौशल व दक्षता में अभिवृद्धि संभव हो सकें। जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होगी तथा वे निर्धनता के दृश्चक्र से मुक्त हो सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि जब तक महिलाएँ ''गरीबी'' का दंश झेल रही है तब तक उनकी साक्षरता, स्वास्थ्य व पोषण संबंधी प्रावधानों की चर्चा करना व्यर्थ हैं। गरीबी की सर्वाधिक मार महिलाओं को झेलनी पड़ती है। इसलिए यह सर्वाधिक आवश्यक है कि गरीबी निवारण कार्यक्रमों व महिला विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ईमानदारी पूर्ण निष्ठा व प्रभावी ढंग से किया जाए ताकि महिला विकास व सशक्तिकरण जैसे जटिल किन्तु महत्त्वपूर्ण उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. कुरूक्षेत्र 2006 – महिला सशक्तिकरण।
2. Government of India National Policy on Education Programme of Action, New Delhi, Ministry of Human Resource Development, 1986.
3. भारतीय संविधान – सुभाष काश्यप, 1978।
4. भारतीय संविधान – पी.एम वक्क्षी, 1999।
5. कुरूक्षेत्र 2006 –महिला सशक्तिकरण।
6. Singha Rajni. Work Force Participation and Education of Women in Economic Development Ph.D Thesis Rajasthan University, Jaipur, 1992.
7. Singha Rajni. Work Force Participation and Education of Women in Economic Development, Ph.D Thesis Rajasthan University, Jaipur, 1992.
8. Lxmipathi Raju. Women Empowernment Challenges and Strategies, Regal Publicatins, New Delhi, 2007.
9. Government of Indian. National Policy on Education Programme of Action, New Delhi, Ministry of Human Resource Development, 1986.
10. Rajasthan State Development Report. Planning Commission Governmnet of India, 2005.
11. Rajasthan State Development Report. Planning Commission Governmnet of India, 2005.
12. Rajasthan State Development Report. Planning Commission Governmnet of India, 2005.
13. Government of India. TowarosQ Eqaulity, Report of The Committee on the Status of Women in India, Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi, 1974.
14. Government of India. TowarosQ Eqaulity, Report of The Committee on the Status of Women in India, Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi, 1974.
15. Government of India. TowarosQ Eqaulity, Report of The Committee on the Status of Women in India Ministry of Education and Social Welfare, New Delhi, 1974.
16. Sharma Sangeeta, Rajesh Kumar Sharma. Mahila Vikash avam Rajkiya Yojnaye, Ritu Publication, Jaipur, 2005.
17. Sharma Sangeeta, Rajesh Kumar Sharma. Mahila Vikash avam Rajkiya Yojnaye, Ritu Publication, Jaipur, 2005.
18. Sharma Sangeeta, Rajesh Kumar Sharma. Mahila Vikash avam Rajkiya Yojnaye, Ritu Publication, Jaipur, 2005.
19. Government of Rajasthan. Human Development Report. 1995, 1999, 2002.
20. Rajasthan National Family Health Survey (NFHS-2) India, Ministry of Health and Family Welfare, 2005-2006.
21. Rajasthan State Development Report. Planning Commission. 2005.
22. Rajay Mahila Vikash Report. Governmnet of India, 2005.
23. डॉ. अनीता मोदी (कुरूक्षेत्र) – महिला सशक्तिकरण सरकारी प्रयास एवं चुनौतियां ।
24. डॉ. अनीता मोदी (कुरूक्षेत्र) – महिला सशक्तिकरण सरकारी प्रयास एवं चुनौतियां ।
25. डॉ. अनीता मोदी (कुरूक्षेत्र) – महिला सशक्तिकरण सरकारी प्रयास एवं चुनौतियां ।
26. डॉ. अनीता मोदी (कुरूक्षेत्र) – महिला सशक्तिकरण सरकारी प्रयास एवं चुनौतियां।